अपील प्र.स. 260/2017

(7)

16/5/18

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प रोडावाली में पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 8.5.2018 को आदेश 06 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति के संबध में दिनांक 11.9.2017 के अनुतोष में संशोधन चाहा गया उक्त प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक को सुना जाकर स्वीकार किया गया। प्रार्थी द्वारा नवीन प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत करने के संबध में इस आश्य का पेश किया गया कि हमारी कृषि भूमि चक 6 केकेडब्ल्यू के खाता संख्या 28/15 पत्थर नम्बर 116/214(45)किला नम्बर 7 से 9, 12 से 15 पत्थर नम्बर 117/216(67) किला नम्बर 1 से 3, 8 से 10, 12 से 13 कुल 3.795 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस भूमि में प्रार्थी संख्या 1 के नाम 3.769 हिस्सा दर्ज है। चक 6 के के डब्ल्यू के खाता संख्या 36/25 पत्थर नम्बर 116/213(36) किला नम्बर 22 से 24 पत्थर नम्बर 116/214(45) किला नम्बर 2 से 4 कुल 1.518 हैक्टर नहरी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। यह भूमि प्रार्थीया संख्या 2 के पति व प्रार्थीगण संख्या 3 से 5 के पिता गुरदयाल के नाम दर्ज है जिनका स्वर्गवास हो चुका है उनके स्वर्गवास के पश्चात उक्त भूमि पर प्रार्थीगण 2 से 5 का कब्जा काश्त है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक 6 के के डब्ल्यू के खाता संख्या 62/130 पत्थर नम्बर 116/213(36) किला नम्बर 21 पत्थर नम्बर 115/214 (44) किला नम्बर 1 व 10 पत्थर नम्बर 116/214(45)किला नम्बर 1,10,11 कुल 1.518 नहरी भूमि दर्ज कागजात है। मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया कि पत्थर नम्बर 215/214 (45) किला नम्बर 1 व 10 के मध्य पश्चिम से पूर्व दो–दो बिस्वा चौडाई व एक बीघा लम्ब रास्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा देवे वह इसके बदले में डीएलसी रेट से कीमत देने को तैयार है तो वह इन्कार हो गया। यही बिनाय प्रार्थना पत्र है। अतः उक्तानुसार रास्ता स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया मुताबिक आदेशिका दिनांक 22.11.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 जगदीश स्वयं हाजिर आया था किन्तु गत चार पेशीयो पर बावजूद सूचना के हाजिर नही आने पर आदेशिका दिनांक 2.2.2018 को अप्रार्थी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। तहसीलदार हनुमानगढ के पत्र क्रमांक 1961 दिनांक 27.4.2018 से रिकार्ड एवं मौका की रिपोर्ट व रास्ता सुविधा एवं उपलब्धता की प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है।

बहस अभिभाषक प्रार्थीगण एक पक्षीय सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हनुमानगढ संलग्न पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र मांग अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित बताया है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आने पर मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हनुमानगढ प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Scanned by CamScanner

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हनुमानगढ प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि 6 केकेडब्ल्यू खाता संख्या 62/130 के पत्थर नम्बर 215/214 (45) किला नम्बर 1 व 10 के मध्य पश्चिम से पूर्व दो–दो बिस्वा चौडा व एक बीधा लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। प्रार्थीगण रास्ता की भूमि की एवज में डीएलसी रेट का दुगनी राशि का भुगतान तहसीलदार हनुमानगढ के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 जगदीश को करेगे। तहसीलदार हनुमानगढ तहसील कार्यालय में राशि जमा होने पर राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार रास्ता का अमल दरामद कर मौके पर चालू करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा रास्ता की एवज में जमा राशि अप्रार्थी की मांग पर नियमानुसार उसे लौटाई जावे। उक्त आदेश की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार हनुमानगढ को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दप्तर की जावे।

आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधि.
हनुमानगढ

Scanned by CamScanner